अति महत्वपूर्ण / मानव सम्पदा पोर्टल

संख्या- 11/2025/121/सैतालीस-का-5-2025-(1838120)

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **27-02-2025**

विषयः- **मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1/2025/614/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 17-12-2024, अनुस्मारक संख्या- 18/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 24.01.2025, शासनादेश संख्या- 07/2025/23/सैतालीस-का-5-2025-(1838120), दिनांक 06.02.2025 एवं शासनादेश संख्या- 10/2025/114/सैतालीस-का-5-2025-(1838120), दिनांक 24.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के कार्मिकों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार पोर्टल पर दिनांक 28.02.2025 तक अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों का ही मार्च, 2025 का वेतन आहरित किया जाने के निर्देश निर्गत करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को दिया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि पोर्टल की दिनांक 27.02.2025 की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 829819 कार्मिकों के सापेक्ष कुल 708588 कार्मिको (कुल पंजीकृत कार्मिकों का मात्र 85 प्रतिशत) द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी कार्मिकों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के कार्मिकों को एक अवसर और प्रदान करते हुए दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 28.02.2025 से बढ़ाकर दिनांक 10.03.2025 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 10.03.2025 तक अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों का ही मार्च, 2025 का वेतन (जो अप्रैल, 2025 में देय होगा), आहरित किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।